

आई0एस0आई0 मान्यता प्राप्त पम्पसेट/डीजल इंजन के निर्माताओं की सूची-09

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रवृत्त प्रमाण पत्र एवं निर्माता फर्मों द्वारा प्रेषित घोषणा पत्र के आधार पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अधोलिखित निर्माता फर्म का उनके द्वारा निर्मित किये गये पम्पसेट/डीजल इंजन की मान्यता उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार प्रदान कर दी गई है तथा निर्माता फर्म द्वारा दिये गये ब्राण्ड नाम इंजन सभी हार्स पावर/आर0पी0एम0 के लिए अनुमोदित है।

क्र० सं०	अनुज्ञापि सं०	निर्माता फर्म का नाम व पता	ब्राण्ड का नाम	अश्व शक्ति	चक्कर प्रति मिनट	मान्यता अवधि
1	सी0एम0 / एल0नं0- 9215470	मे0 सुमन इण्डस्ट्रीज, 151, इण्डस्ट्रीयल स्टेट नुनहाई, आगरा-06	भारत ज्योति सुमन मार्शल फाल्कन एरा.आई.भारत	5.00 6.50 8.00 10.00	1400 1500 1600 1000	दि० 16.8.18 से दि० 30.9.18 तक

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तक०)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

परिपत्र सं०-सी- ५३ /तक०प्रकोष्ठ/निर्माता-नवी०/2018-19 दिनांक-०५-९-१८

प्रतिलिपि:-1.समस्त शाखा प्रबन्धक/वरि०प्र०/सहा०महाप्र० ,उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उ० प्र० को प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं०-सी-41/तक०प्रकोष्ठ/निर्माता नवी०/18-19, दिनांक-16.08.18 के क्रम में नवीं सूची इस निर्देश के साथ कि संबंधित उत्पादक फर्म द्वारा डीलर/सबडीलर/कमीशन एजेंट द्वारा योजनानुसार अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा करने एवं निर्धारित प्रारूप पर गारण्टी पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही मान्यता दें। उपरोक्त फर्म द्वारा जमानत की निर्धारित धनराशि प्रधान कार्यालय में जमा की जा चुकी है।

(अ) परिपत्रसं०-सी 22/तक०प्रकोष्ठ/17-18,दिनांक 06.06.18(इकाई लागत सम्बन्धी),परिपत्र सं०-209/यंत्र/
एस०आई० /89-90 दिनांक-7.12.89 तथा पम्प की अनिवार्यता सम्बन्धी परिपत्र सं०-63/तक०
प्रकोष्ठ/2012-13 दिनांक-26.09.12, परिपत्र सं०-112/यंत्र/17एच /94-95 दिनांक-06.5.94, तथा परिपत्र
सं० सी-45/तक०प्रकोष्ठ/ 12-13, दिनांक- 20.08.10 के निर्देशानुसार आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

(ब) अनुमोदन सूची में अंकित फर्म किन्हीं कतिपय अनियमितताओं के कारण प्रतिबन्धित हो तो प्रतिबन्ध समाप्त होने के बाद ही कार्यवाही करें।

(स) बाडी पर इंजन का नाम खुदा हो तथा नम्बर व अश्व शक्ति ढला/खुदा हो।

(द) उपरोक्त स्तम्भ में अंकित इंजनों के नाम नि.फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर दिये गये हैं।

2. सम्बन्धित निर्माता फर्म को सूचनाार्थ।

3. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।

4. संयुक्त निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, बी-2चतुर्थ तल पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

5. समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-2 को इस निर्देश के साथ कि वे इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. उप महाप्रबन्धक(आई०टी०सेल),प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-2 को ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

63
महाप्रबन्धक(तक०)